

बिहार सरकार
खेल विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक-१०.०६.२०२५

संचिका सं०-१/स्था०-२१(स्थापना)-०३/२०२५/२६५४..... बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२१ के तहत बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर स्थापित है एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा-२ (f) के तहत मान्यता प्राप्त है। बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के द्वारा सत्र २०२५-२६ में संचालित किये जाने वाले स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Sports Coaching) को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (NSNIS) पटियाला, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE), ग्वालियर एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा निर्गत खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष (Equivalent) माना जायेगा।

२. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-१/स्था०-२१(स्थापना)-०३/२०२५/२६५४

पटना, दिनांक-१०.०६.२०२५

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र से प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई० टी० मैनेजर, खेल विभाग)।

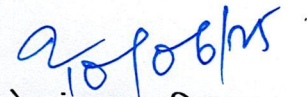


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-१/स्था०-२१(स्थापना)-०३/२०२५/२६५४

पटना, दिनांक-१०.०६.२०२५

प्रतिलिपि:- उप सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

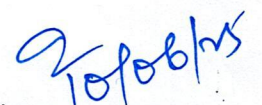


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-१/स्था०-२१(स्थापना)-०३/२०२५/२६५४

पटना, दिनांक-१०.०६.२०२५

प्रतिलिपि:-राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/कुलपति, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (नालंदा)/माननीय मंत्री, खेल विभाग के आप्त सचिव/संबंधित सभी पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर खेल विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।